तीसरी अनुसूची

(धारा 102 देखिए)

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में, अनुभाग (xi) के टिप्पण 2 में पैरा (अ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(अ) अध्याय 50 से 55 में या शीर्ष 5809 या 5902 में वर्गीकरणीय और दो या अधिक टैक्सटाइल्स सामग्रियों के मिश्रण के माल इस तरह वर्गीकृत किए जाने हैं मानो वे पूर्ण रूप से केवल एक ही टैक्सटाइल सामग्री से बने हैं जो भार के अनुसार किसी अन्य एकल टैक्सटाइल सामग्री के ऊपर अधिमान रखती है ।

जब भार के अनुसार किसी एक टैक्सटाइल सामग्री की अधिमानता नहीं है तब उस माल को ऐसे वर्गीकृत किया जाएगा मानो वह उस एक ही टैक्सटाइल सामग्री से पूर्णतः बना है जो उस शीर्ष के अंतर्गत आती है जो उन शीर्षों में संख्या के क्रम में अंत में आता है जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है ।"।

http://indiabudget.nic.in